न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/468

घनश्याम शर्मा आत्मज श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज छीतर जाति कुम्हार निवासी ग्राम बडौदिया ।
2. श्यामसुन्दर आत्मज सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम बडौदिया ।
3. नोलक चन्द आत्मज रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. श्रीमती कौशल्या देवी बेवा नोलक चन्द ।
   3/2. शिवराज शर्मा आत्मज नोलक चन्द ।
   3/3. राजेश शर्मा आत्मज नोलक चन्द ।
   3/4. ललिता पुत्री नोलक चन्द जातियान ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजकुमार गोयल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 15.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 3 एवं अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 2671 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2673 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2674 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2675 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2676 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2677 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल 06 किता की 17 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी कम 2 के पारिवारिक बंटवारे स्वरूप हिस्से में प्राप्त हुई

जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि के समीप प्रतिवादीगण कम 1व 2 की कृषि भूमि स्थित है । प्रतिवादीगण आदतन अपराधी होने व भू–माफिया होने से वादी को उनके कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे, वादीगण के कब्जे व स्वामित्व में दखलन्दाजी नहीं करे । सिंचाई के धोरों व मेडों को नष्ट नहीं करे व मेड पर लगे पेड पौधो को नष्ट नहीं करें ऐसा न तो स्वयं करें और न ही किसी प्रतिनिधि से करावें । दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी की भूमियों पर अतिक्रमण कर लेवे तो उन्हें बेदखल कर अतिक्रमी काल का मुआवजा दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 10.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए उभय पक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 से व्यथित होकर वादी कम 2 घनश्याम अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में तनकी कायम किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलान्ट को लोक अदालत की सूचना मिली जिस पर अपीलान्ट कैम्प् कोर्ट में दिनांक 10.07.2015 को उपस्थित हुआ लेकिन पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं होने से पत्रावली में दिनांक 06.08.2015 पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत कर दी गई और अपीलान्ट से कहा कि आपका निर्णय यहॉ नहीं होगा आप तारीख पेशी पर अदालत में आना । दिनांक 06.08.2015 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी गया तो उक्त निर्णय एवं डिक्री जानकारी प्राप्त हई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट सूचना मिलने पर लोक अदालत में उपस्थित हुआ था लेकिन पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं होने से अपीलान्ट के पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.08.2015 नियत कर दी और अपीलान्ट से कहा कि तुम्हारा निर्णय यहॉ नहीं होगा और तारीख पेशी पर अदालत में आ जाना । दिनांक 06.08.2015 को अपीलान्ट नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ तो उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को दिनांक 10.07.2015 को लोक अदालत में रखा जिसमें वादीगण का वाद स्वीकार कर दोनों पक्षों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर एक दूसरे के हिस्से की आराजी में कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की भूमियों पर उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट वादी की है और प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया गया है । स्थायी निषेधाज्ञा से वादी को भी पाबन्द कर दिया है । तनकी कायम नहीं की है और न ही साक्ष्य ली गई है लोक अदालत में कोई राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 10.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 3/1 से 3/3 ने अपील स्वीकार करने में सहमति दी ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने दावा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए पेश किया था जिसमें तहसीलदार से सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त की गई है उसके उपरान्त पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन वादीगण का वाद स्वीकार कर दोनों पक्षों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि एक दूसरे के हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें । प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई काउन्टर क्लेम नहीं है और न ही पक्षकारान लोक अदालत में उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा